01/12/14

वकील प्रार्थीया हाजिर। अपील नं. 1 ता. 2 बजेगी तामील अनु. 28 पर इस लिहाज इकदमा कार्यालय आफिस में लाई जावे। वकील नालिश द्वारा सम्मति से दावा डिक्री अंतरिम है प्रार्थना अदेश स्थायी आमो का कर्ज आफिस नहीं है। अदेश स्थाई इसलिए किस जरूर हो विपक्ष को सुना ए जाय

उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ़